

## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन कु० प्रयागराज

201750030089282

प्रमाणपत्र क॰

454203002935

प्रमाणित किया जाता है कि

प्त्र/प्त्री

माता का नाम

निवासी

गाम

तहसील

जिला

प्रमोद कुमार पटेल

सभाव चन्द्र

प्रयागराज



जारी दिनांक: 18/08/2020

उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियाँ,अनुसूचित जन जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रमोद कुमार पटेल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अन्सूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र॰ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी॰ सी॰-III , दिनाँक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षी की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

जारी कर्ता केन्द्र विनेश चन्द्र यादव ,सहज जन सेवा केंद्र

स्यान ; सहन्दा ,बारा,SEHUNDA,जसरा,इलाहाबाद

दिनांक । 28/08/2020

VISHAL Digitally Signed by KUMAR<sup>O</sup>U=REVENUE, S=Ullar SHARMA Predesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बारा,प्रयागराज दिनांक:18/08/2020

यह प्रमाण पर इतेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटन सिम्नेयर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र देवसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र॰ फिर प्रमाणपत्र क्र॰ अंकित कर,सत्यापित किया जा